न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–4–2019

श्योजी पुत्र स्वरूपा माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 26–2–2019 मिसल सं0 1825/2018

उपस्थिति : (1) श्री छोटेलाल सोलंकी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक **20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 26–2–2019 के द्वारा अपीलान्ट को शीट के रास्ते की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 637 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा पर फसल काश्त करने व तार खीच कर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 8/रूपये की पेनल्टी कायम कर दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9–12–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को निर्णय की कोई जानकारी [illegible] दी गई है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है [illegible] से संचालित है। उक्त भूमि के पास ही अपीलान्ट की पत्नि की खातेदारी की भूमि है, जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण लगभग 300 फिट है तथा उस खेत की मेड़ पर दो पुराने पेड़ विद्यमान हैं, जिससे स्पष्ट होता हे कि अपीलान्ट को आज तक कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गया है, ओर न ही अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, जौ मोके की वास्तविक स्थिति से काफी विपरीत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक घर बेठकर विधि विरूद्व तरीके से तैयार की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। साथ ही यह भी अंकित किया हे कि अपीलान्ट को निर्णय पारित किये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18–3–2019 को हुई। निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25–3–2019 को नकल प्राप्त की तथा खर्चे का इन्तेजाम कर बिना किसी देरी के उक्त अपील जानकारी के अन्दर मियाद पेश कर रहा है देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र परस्तुत कर रहा है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर बताया कि सुरेली से सुरज्याभेंरू ढाणी के रास्ते पर कई अतिक्रमण हैं अतः सभी अतिक्रमियों के साथ समानता की कार्यवाही की जावे। विवादित शीट के रास्ते की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 637 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा पर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ग्रामवासियों द्वारा रास्ता रोकने बाबत पंचायत में भी शिकायतें की हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की शीट के रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 637 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा पर डोल लगाकर पत्था डालकर व तार खींच कर स्थाई अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। नायब तहसीलदार बनेठा के न्यायालय में अपीलान्ट के अतिक्रमण के विरूद्व शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरपंच ग्राम पंचायत सुरेली ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलान्ट का भौतिक रूप से कब्जा हटा दिया गया था किन्तु इसके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर रास्ता रोक दिया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की रास्ते की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 26–2–2019 यथावत रखा जाता [illegible] स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:10 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते